तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 117/2021(जी.सी.एम.एस. नंबर 2021/231) बअनवान हनुमानराम बनाम मनोहरलाल इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

हनुमानराम

बनाम

मनोहरलाल इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नाई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
3. श्री भीखाराम विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 03 से 05
4. श्री बुधराम गोदारा, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06 व 07
5. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 18

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 61/2021 अनवान मनोहरलाल बनाम सुरताराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 जून 2021 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 जुलाई 2021 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नं0 1252 रकबा 5.6352 हैक्टेयर, खसरा नं0 1273 रकबा 1.7968 हैक्टैयर, खसरा नंबर 1274 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1276/1 रकबा 2.4524 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1276/2 रकबा 2.8409 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1276/3 रकबा 2.5492 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1285 रकबा 2.6790 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1285/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसराप नंबर 1384 रकबा 4.6296 हैक्टेयर ग्राम हंसादेश एवं खसराप नंबर 947

	रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा नंबर 948 रकबा 21.8368 हैक्टेयर ग्राम मुलराज तहसील लोहावट अपीलांट पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने पिता स्व. हरलाल का फौतेदगी नामांतरकरण रूकवाने के उद्धेश्य से वाद प्रस्तुत कर एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार है तथा माननीय राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रत्यर्थी सख्या 01 के पक्ष में यदि वसीयत की गई है तो वह उस आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही कर सकता है तथा तहसीलदार को ही जांच कर नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का अधिकार है। रेस्पोडेंट संख्या एक तहसीलदार के पास उपस्थित नहीं होकर मात्र फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही को रोकने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश 39 नियम 3 (ए) सीपीसी की पालना नहीं करते हुए तथा नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 जून 2021 निरस्त किया जावे। जवाब में रेस्पो. संख्या एक, छ व सात के अधिवक्तागण ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नही है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। रेस्पोडेंट संख्या ती से पांच के अधिवक्ता ने अपीलांट	

	के अधिवक्ता के कथनों का समर्थन करते हुए वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया । विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में अपीलांट के दादा दौलाराम के नाम दर्ज रहने से प्रथमदृष्टया वादग्रस्त आराजी उसकी पुश्तैनी भूमि प्रतीत होती है। वादग्रस्त आराजीयात पक्षकारान् की पुश्तैनी भूमि होने से स्व. हरलाल के सभी वारिसान् का वादग्रस्त आराजी में जन्म से ही हक-हिस्सा निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा स्व. हरलाल के सभी वारिसान् को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पाये जाने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील	

	अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 जून 2021 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या तीन से छः के हक-हिस्से तक अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	